

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/अ0-03-10/2022

पटना, दिनांक—

श्रीमती विनीता कुमारी, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति राज्य-कर सहायक आयुक्त, कदमकुआँ अंचल, कदमकुआँ को बिहार सेवा संहिता के नियम-232, 233 एवं 234 के तहत दिनांक-23.01.2023 से 15.02.2023 तक कुल 24 (चौबीस) दिनों का रूपांतरित अवकाश तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक-16.02.2023 से 28.02.2023 तक कुल 13 दिनों का एवं दिनांक-13.03.2023 से 31.05.2023 तक कुल 80 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती कुमारी के पक्ष में देय अर्द्धवैतनिक अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (48-24x2=00) (शून्य) दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-10/2022

1116

पटना, दिनांक- 05/03/2025

प्रतिलिपि:-वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), कदमकुआँ अंचल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती विनीता कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), कदमकुआँ अंचल, कदमकुआँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।